

## दिल्ली छात्रगृह योजना

### छात्रवृत्ति का उद्देश्य

मध्यप्रदेश के ऐसे पिछड़ा वर्ग छात्रलछात्राओं के लिये आवासीय व अन्य सुविधायें जैसे-पानी, विद्युत व्यय की प्रतिपूर्ति, शिष्यवृत्ति आदि की सुविधायें उपलब्ध कराना है, जो दिल्ली स्थित उच्च शिक्षा संस्थाओं में अध्ययनरत हैं।

### क्षेत्र

छात्र गृह की सुविधा केवल दिल्ली महानगर में अध्ययनरत मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग छात्र-छात्राओं के लिये ही सीमित होगी।

### पात्रता की शर्तें

- इस योजना की पात्रता के लिये छात्र-छात्राओं को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- छात्रलछात्रायें पिछड़ा वर्ग की होना आवश्यक है।
- छात्र-छात्राओं को स्नातक (प्रथम वर्ष) तथा उसके ऊपर की कक्षाओं या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत/प्रवेशित होना अनिवार्य होगा।
- छात्र-छात्राओं को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता हो अर्थात् छात्र-छात्राओं के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1,00,000/- (एक लाख रुपये) से अधिक नहीं होना चाहिये।
- मध्यप्रदेश में स्थित किसी शिक्षण संस्था से कक्षा 12 वी की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

### प्रवेश प्रणाली

प्रवेश देने के लिये विशेष आयुक्त मध्यप्रदेश नई दिल्ली सक्षम होंगे। छात्र-गृह में केवल उन्हीं छात्र-छात्राओं को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त शासकीय अथवा अशासकीय शिक्षण संस्था में स्नातक (प्रथम वर्ष) या इससे ऊपर की कक्षाओं में अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हो या स्वीकृति हो चुकी हो, जिनका चरित्र उत्तम हो, जो नियम की पूर्ति एवं नियमों के पालन के लिए वचनबद्ध हो।

### छात्र गृह के लिये भवन

विशेष आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन छात्र गृहों के लिये छात्र-छात्राओं की मांग आदि के प्रकरण में किसी भी उपयुक्त स्थान पर छात्र गृह संचालन का निर्णय ले सकेंगे। जो छात्र-छात्राओं की उपलब्धता, संभावना, छात्र-छात्राएँ जिन शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत हैं उससे निकटता एवं आवश्यकता पर आधारित होगा। छात्र-गृह हेतु मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रति छात्र प्रति माह 1000/- रुपये की दर से मकान किराया। पानी एवं विद्युत व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रति विद्यार्थी प्रति माह 50/- रुपये की दर से 12 माह हेतु दिया जावेगा। यदि इससे अधिक राशि का व्यय उक्त मदों में होगा तो समानुपातिक दर से विद्यार्थियों को स्वयं वहन करना आवश्यक होगा।

### छात्र/छात्राओं द्वारा देय राशि

मकान किराये पर प्रति विद्यार्थी प्रति माह 1000/- रुपये तथा पानी व बिजली की प्रतिपूर्ति हेतु प्रतिमाह 50/- रुपये से अधिक का व्यय होगा तो उक्त अधिक व्यय विद्यार्थी को स्वयं वहन करना आवश्यक होगा।

स्कीकृति हेतु सक्षम अधिकारी इस योजना के लिये वित्तीय प्रबंधक का दायित्व विशेष आयुक्त मध्यप्रदेश नई दिल्ली का होगा।

छात्र-गृह का रख-खाव

जिस मकान में छात्र गृह संचालित है, उस मकान के रख-रखाव एवं मरमत का दायित्व मकान मालिक का होगा। मकान लेते समय इस आशय का अनुबंध मकान मालिक एवं निवास करने वाले छात्रों के मध्य होगा अनिवार्य होगा।

छात्रों को देय सुविधायें

- दिल्ली महानगरमें छात्र-गृह योजना अंतर्गत छात्र-छात्राओं को निम्नानुसार सुविधायें प्राप्त होगी
- किराया : प्रति छात्र प्रति माह अधिकतम रु. 1000/- 12 माह हेतु।
- पानी एवं विद्युत व्यय प्रति छात्र प्रतिमाह रु. 500/- 12 माह हेतु।
- शिष्यवृत्ति प्रति छात्र प्रतिमाह रु. 500/- 12 माह हेतु
- एक मुश्त अनुदान प्रति विद्यार्थी रुपये 2000/- केवल एक बार प्रवेश के समय
- पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये पात्र विद्यार्थियों को छात्रावासी दर से अनुरक्षण व्यय प्राप्त होगा एवं उन्हें शिष्यवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।